

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आर्किट्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि ये स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आर्किट्स के पद पर नियुक्त रहें :-

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस
२	" प्रिलोक सिंह	बनारस
३	" फयान हुसेन	बनारस
४	" दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-१०६-५४-लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८६४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर बनारस को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बनारस में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

सं० ३९२०/१४-१०(१)-५५-श्री आर० एन० गैरोला पी० एफ० एत०, डिप्टी कलेक्टर आक फारेस्ट्स को २२ सितम्बर १९५५ ई० से २१ दि० की उपस्थित छुट्टी की जाती है। उन्हीं २३ से २४ अक्टूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य पर्व छुट्टियाँ उस छुट्टी के त० र तन्निमित्त करने की जाती हैं।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४-६०(१)-५५-कार्यवाही प्रहण करने की तारीख से श्री श्रीधरदास, पी० एफ० एत०, प्रसिडेन्ट कम्पार-वेटर आक फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एत० के स्थान पर, जिनकी छुट्टी हो गई है, स्थानापन्न डिप्टी कम्पार-वेटर आक फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिबिजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब यह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबंधात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के सेक्टर ४ के विदेश इतने संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्गन
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमीन की हदबन्दी पर पर या सीमेंट के स्तम्भों या छाड़ियों द्वारा उस रवारा पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील २९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	श्रीधरमुगल रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	सखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/२-६४० फीट तक	सखनऊ और उन्नाव	४६ २ ६४०	"
६	सखनऊ-बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	सखनऊ, सीतापुर, शाह-जापुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	सखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	सखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	सखनऊ-मुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	सखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और मुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	सखनऊ-कंजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	सखनऊ, बाराबंकी और कंजाबाद	७६ ३ ३६६	"

(*दाया प्रती प्रमाणित*)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या